

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2024

No. 01/2024- Integrated Tax

G.S.R. 380(E). — In exercise of the powers conferred by the second proviso to section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (1) of section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 02/2018-Integrated Tax, dated the 20th September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 901(E), dated the 20th September, 2018, namely:-

In the said notification, for the words “one per cent.”, the words “half per cent.” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in official gazette.

[F. No. CBIC-20006/21/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Note: - The principal Notification No. 02/2018-Integrated Tax, dated the 20th September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 901(E), dated the 20th September, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सं. 01/2024- संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 381(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा 1 तथा संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 12/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 28 सितंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, “आधे प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “0.25 प्रतिशत” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्यांक 12/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 28 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i), में संख्यांक सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।